दिनांक 29.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 41／2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश एवं सेंचुरियन विश्वविद्यालय, ओडिशा के मध्य, प्रशासनिक, शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के साथ-साथ संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर

आज दिनांक 29.08.2025 को **श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक**, उ०प्र० की गरिमामयी उपस्थिति में पुलिस मुख्यालय में सेंचुरियन विश्वविद्यालय, ओडिशा द्वारा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश एवं सेंचुरियन विश्वविद्यालय के मध्य, प्रशासनिक, शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के साथ-साथ संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

श्री नवीन अरोरा, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं ने बताया कि इस समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रमुख लाभ है- संयुक्त शिक्षण/प्रशिक्षण और अनुसंधान पहल, शोध सामग्री प्रकाशनों और पुस्तकालय संसाधनों का आदान-प्रदान, वैज्ञानिक उपकरणों/ सॉफ्टवेयर और प्रयोगशाला सुविधाओं का सदुपयोग, वैज्ञानिकों/शोधार्थियों के लिए सह-मार्गदर्शन के अवसर प्रदान करेगा। यह MoU छात्रों को तेजी से विकसित हो रहे फोरेंसिक विज्ञान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करेगा, उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा तथा अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा, जो देश भर में कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रणालियों का समर्थन करेगा।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० ने इस MoU की सराहना करते हुए कहा कि यह ज्ञान-विनिमय, नवाचार और फॉरेंसिक क्षमता-वृद्धि की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह न केवल शैक्षणिक शोध को मज़बूत करेगा बल्कि प्रदेश की फॉरेंसिक संरचना को भी नई वैज्ञानिक शक्ति प्रदान करेगा। यह पहल उत्तर प्रदेश को वैज्ञानिक अन्वेषण और फॉरेंसिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह सहयोग प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई कई फॉरेंसिक पहलों को और गति देगा। नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत अब गंभीर अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ का घटनास्थल (SoC) पर पहुँचना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सबूतों का वैज्ञानिक और सटीक संकलन सुनिश्चित हो रहा है।

इसी महीने 75 अत्याधुनिक मोबाइल फोरेन्सिक वैन का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। ये वैन डीएनए सैंपलिंग, फिंगरप्रिंट विश्लेषण, टॉक्सिकोलॉजी परीक्षण और अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इससे प्रदेश में फॉरेंसिक-आधारित पुलिसिंग को नया आयाम मिला है।

सेंचुरियन विश्वविद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण स्कूल को हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो अब तक यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है। सेंचुरियन विश्वविद्यालय के प्रेसीडेंट, प्रोफेसर मुक्तिकान्त मिश्र ने कहा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की फोरेंसिक विशेषज्ञता के साथ हमारे शैक्षिक संसाधनों को संयोजित करके, हम छात्रों और शोधकर्ताओं को फोरेंसिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाएंगे।

समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के समय अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ ऑफीसर, पुलिस उपमहानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय एवं प्रभारी निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उपस्थित रहे एवं सेंचुरियन विश्वविद्यालय, ओडिशा के प्रेसीडेंट, प्रोफेसर मुक्तिकान्त मिश्र, वॉयस चांसलर - डॉ0 सुप्रिया पटनायक, निदेशक– सुश्री मोनालिशा घोष एवं एसोसिएट डीन– डॉ0 रीना सी. झमतानी उपस्थित रहे।

MoU
Between
State Forensic Science
Laboratory, Uttar Pradesh
&
Centurion University of
Technology and
Management, Odisha
Date : August 29, 2025
Prof. Mukti Kanta Mishra
Shri Rajeev Krishna

MoU
Between
State Forensic Science
Laboratory, Uttar Pradesh
&
Centurion University of
Technology and
Management, Odisha
Date : August 29, 2025
Prof. Mukti Kanta Mishra
Shri Rajeev Krishna

संकल्प

दिनांक 29.08.2025

प्रेस विज्ञप्ति 42/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस कर्मियों के आश्रित परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत करीब 20 करोड़ रूपये के चेक प्रदान किये गये।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 29.08.2025 को विभिन्न जनपदों में अलग–अलग तिथियों में मृत पुलिस कर्मियों के शोक संतप्त आश्रित परिजनों एवं दुर्घटना में विकलांग पुलिस कर्मियों को बैंक ऑफ बड़ौदा, पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का चेक प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा से किये गये एमओयू के तहत आकस्मिक दुर्घटना में मृत/विकलांग पुलिस कर्मियों को पुलिस सेलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के रूप में चेक प्रदान किये जाते हैं इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा द्वारा पुलिस कर्मियों के परिजनों एवं दुर्घटना में विकलांग पुलिस कर्मियों को करीब 20 करोड़ रूपये के चेक प्रदान किये गये, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

- उ0नि0 विनोद कुमार सिंह जनपद खीरी में नियुक्त थे, डियूटी के दौरान उनकी मोटर साइकिल में ट्रक द्वारा टक्कर मारने के कारण दिनांकः 14.03.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 2.00 करोड़ रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- उ0नि0 प्रदीप कुमार जनपद मेरठ में नियुक्त थे, डियूटी के दौरान उनकी कार में ट्रक द्वारा टक्कर मारने के कारण दिनांकः 30.04.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 1.70 करोड़ रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- उ0नि0 नीरज कुमार जनपद मुजफ्फरनगर में नियुक्त थे, डियूटी के दौरान उनकी कार में दूसरी कार द्वारा टक्कर मारने से दिनांकः 16.03.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 1.70 करोड़ रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- उ0नि0 शेषनाथ सिंह यादव जनपद प्रतापगढ़ में नियुक्त थे, डियूटी के दौरान उनकी कार में अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से दिनांकः 08.02.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 1.70 करोड़ रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- उ0नि0 रवि कुमार दीक्षित कमिश्नरेट कानपुर नगर में नियुक्त थे, डियूटी के दौरान उनकी स्कूटी में कार द्वारा टक्कर मारने से दिनांकः 15.08.2024 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 90 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।

- महिला उ0नि0 नेहा शुक्ला कमिश्नरेट प्रयागराज में नियुक्त थीं, डियूटी के दौरान उनकी कार में डबल डेकर बस द्वारा टक्कर मारने से दिनांकः 12.12.2024 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 1.70 करोड़ रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- मुख्य आरक्षी भोजराज शर्मा जनपद बदायूं में नियुक्त थे, डियूटी के दौरान उनकी मोटर साइकिल फिसल जाने से गम्भीर चोट आने के कारण दिनांकः 11.10.2024 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 95 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- मुख्य आरक्षी अनिल कुमार जनपद कन्नौज में नियुक्त थे, घर जाते समय वाहन द्वारा टक्कर मारने के कारण दिनांकः 28.03.2024 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 75 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- आरक्षी शाहरूख हसन जनपद शाहजहांपुर में नियुक्त थे, डियूटी के दौरान मोटर साइकिल से जाते समय पतंग का प्रतिबंधित मॉझा गले में फॅस जाने से रोड पर गिर जाने के कारण दिनांकः 11.01.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 1.70 करोड़ रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- आरक्षी अभय कुमार मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ में नियुक्त थे, कार से आते समय ट्रक द्वारा टक्कर मारने के कारण दिनांकः 30.04.2025 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 1.90 करोड़ रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- महिला आरक्षी रूचि रानी जनपद रामपुर में नियुक्त थीं, पीआरवी पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी नाले में गिरने से डूबने के कारण दिनांकः 05.12.2024 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 1.70 करोड़ रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- फायरमैन गयूर जनपद बागपत में नियुक्त थे, रेलवे लाइन पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ जाने के कारण दिनांकः 23.12.2024 को मृत्यु हो गयी, इनके परिजनों को 1.70 करोड़ रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- आरक्षी मयंक कुमार जनपद हाथरस में नियुक्त हैं, डयूटी के दौरान कार द्वारा टक्कर मार देने से दिनांकः 22.12.2024 को विकलांग हो गये, जिन्हें 75 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।
- आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार जनपद अम्बेडकर नगर में नियुक्त हैं, डयूटी के दौरान मोटरसाइकिल में कार द्वारा दिनांकः 28.11.2024 को टक्कर मार देने से बायें पैर की चोट में इन्फेक्शन के कारण इनका बायां पैर काटना पड़ा, जिन्हें 75 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।

इस अवसर पर श्री अमिताभ यश, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, श्री आर0के0 भारद्वाज पुलिस महानिरीक्षक पुलिस भवन कल्याण सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबन्धक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, उप महाप्रबन्धक श्री कमलेश राठौर, शाखा प्रबन्धक श्री शिशिकांत सिंह उपस्थित रहें।

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
Pay विनोद कुमार सिंह (सब इन्स्पेक्टर) पुलिस लाइन, खीरी
Or Bearer
Rupees रुपये दो करोड़ मात्र
₹ 2,00,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
Pay प्रदीप कुमार (सब इंस्पेक्टर) मेरठ
Or Bearer
Rupees रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
Pay नीरज कुमार (सब इंस्पेक्टर) मुज़फ्फरनगर
Or Bearer
Rupees एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
Pay शेषनाथ सिंह यादव (सब इंस्पेक्टर) प्रतापगढ़
Rupees एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
Pay रवि कुमार दीक्षित (सब इन्स्पेक्टर) कानपुर
Or Bearer
Rupees रुपये नब्बे लाख मात्र
₹ 90,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above

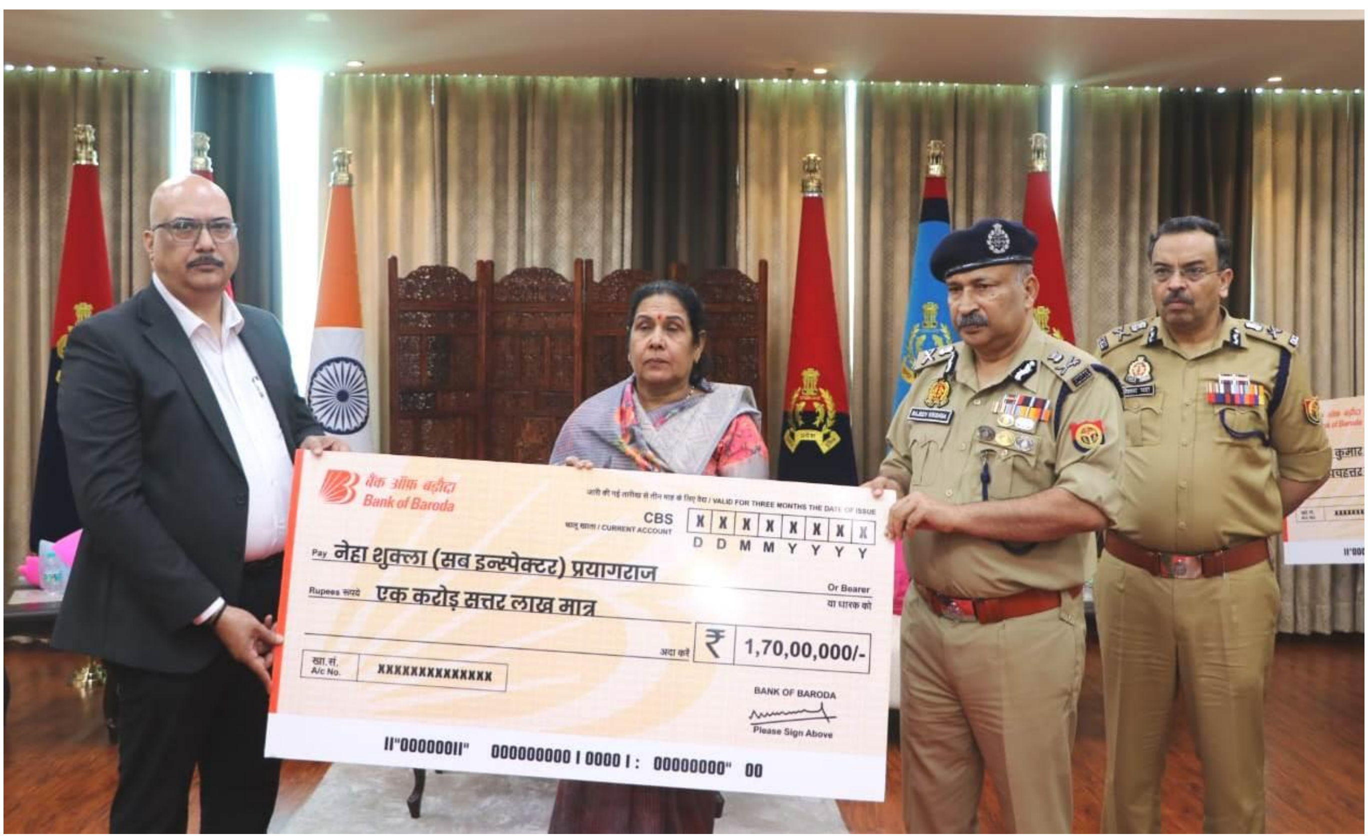
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
Pay नेहा शुक्ला (सब इन्स्पेक्टर) प्रयागराज
Or Bearer
या धारक को
Rupees रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
अदा करें
₹ 1,70,00,000/-
खा. सं.
A/c No.
BANK OF BARODA
Please Sign Above

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
VALID FOR THREE MONTHS THE DATE OF ISSUE
CBS
D D M M Y Y Y Y
Pay भोजराज शर्मा (हेड कांस्टेबल) बदायूँ
Or Bearer
Rupees रुपये पंचानबे लाख मात्र
₹ 95,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
VALID FOR THREE MONTHS THE DATE OF ISSUE
CBS
D D M M Y Y Y Y
Pay अनिल कुमार (हेड कांस्टेबल) कन्नौज
Or Bearer
Rupees रुपये पचहत्तर लाख मात्र
₹ 75,00,000/-
BANK OF BARODA
Please Sign Above

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
VALID FOR THREE MONTHS THE DATE OF ISSUE
CBS
चालू खाता / CURRENT ACCOUNT
D D M M Y Y Y Y
Pay शाहरुख़ हसन (कांस्टेबल) शाहजहांपुर
Or Bearer
Rupees रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
खा.सं. A/c No. XXXXXXXXXXXXXX
BANK OF BARODA
Please Sign Above
II"000000II" 000000000 I 0000 I : 00000000" 00

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
VALID FOR THREE MONTHS THE DATE OF ISSUE
CBS
चालू खाता / CURRENT ACCOUNT
D D M M Y Y Y Y
अभय कुमार (कांस्टेबल) पुलिस हेड क्वार्टर
Or Bearer
Rupees रुपये एक करोड़ नब्बे लाख मात्र
₹ 1,90,00,000/-
खा.सं. A/c No. XXXXXXXXXXXXXX
BANK OF BARODA
Please Sign Above
II"000000II" 000000000 I 0000 I : 00000000" 00

Bank of Baroda
Pay रुचि रानी (कांस्टेबल) रामपुर
Rupees एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-

Bank of Baroda
Pay गयूर (फायर मैन) बागपत
Rupees एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
DDMMYYYY
Pay मयंक कुमार (कांस्टेबल) हाथरस
₹ 75,00,000/-
Rupees रुपये पचहत्तर लाख मात्र
खा.सं. A/c No.
BANK OF BARODA
Please Sign Above

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
DDMMYYYY
Pay पुष्पेन्द्र कुमार (कांस्टेबल) अम्बेडकरनगर
₹ 75,00,000/-
Rupees रुपये पचहत्तर लाख मात्र
खा.सं. A/c No.
BANK OF BARODA
Please Sign Above

दिनांक 29.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 43 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर द्वारा राजस्थान से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 अंतरराज्यीय सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 15 कुन्टल 48 किलो 170 ग्राम अवैध डोडा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रुपये) बरामद किया गया ।</u>

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ,अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक, ऑपरेशन के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक सिरसा के सहयोग से ए0एन0टी0एफ0 सहारनपुर के द्वारा सीआईए ऐलानाबाद द्वारा डिंग थाना क्षेत्र में 1548 किलो 170 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया है । यह खेप एक लाल रंग के टाटा 1112 कैंटर (जिसका नं0 MP 14 ZH 7180) से बरामद की गई। इस मामले में दो आरोपियों, सदाम हुसैन और नादर खान उर्फ बाटिया, को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अन्य आरोपी फरार है। पुलिस ने इस अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क को तोड़ने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक सिरसा द्वारा कार्यवाही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाने की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) से प्राप्त सूचना एवं ऑपरेशन के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। एस.आई. रवि कुमार ने सिरसा पुलिस को सूचित किया कि उक्त कैंटर में दो युवक राजस्थान से डोडा पोस्त लोड करके सिरसा के डिंग मंडी होते हुए पंजाब के भटिंडा ले जा रहे हैं। एसआई नवीन कुमार एएनटीएफ सहारनपुर द्वारा सीआईए ऐलनाबाद की टीम के साथ टीम ने पतली डाबर बस स्टैंड, डिंग रोड पर सुबह करीब 4 बजे, नीले तिरपाल से ढका कैंटर

से चालक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन दोनों युवक भागने की कोशिश करने लगे, जिनको टीम द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया। चालक ने खुद को सदाम हुसैन पुत्र बाबूखान उर्फ बाबूजी मेवाती, निवासी मेवातीपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश हाल निवासी हथुनिया, प्रतापगढ़, राजस्थान उसके साथी ने अपना नाम नादर खान उर्फ बाटिया पुत्र नासीर खान उर्फ अकूला पठान, निवासी हथुनिया, प्रतापगढ़, राजस्थान बताया, परन्तु हाईवे पर ट्रैफिक होने के कारण तलाशी थाना डिंग में की गई। दोनों आरोपियो की तलाशी नियमानुसार ली गई जिनकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान दोनों के पास कुछ नहीं मिला, लेकिन कैंटर की तलाशी लेने पर कैंटर से 77 प्लास्टिक कट्टे (67 काले, 10 सफेद) बरामद हुए, जिनमें डोडा पोस्त था। सभी कट्टो का वजन करने पर कुल 1548 किलो 170 ग्राम निकला। बरामद मादक पदार्थ डोडा पोस्त की कीमत करीब 1,00,000,00 (एक करोड से ज्यादा है)। आरोपियों के विरूद्ध धारा 8/15C/25/29/61/85 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग 209/2025 थाना डिंग मे दर्ज कराया गया।

पूछताछ का विवरणः—

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया कि मादक पदार्थ डोडा पोस्ता हम जिला प्रतापगढ़(राजस्थान) से मंदसौर मध्यप्रदेश होते हुए पंजाब के भटिन्डा जिले को डिलेवर करने जा रहे थे, जिसके बदले में हमें प्रतिदिन 50 हजार रू0 मिलते हैं। हमारे द्वारा म0प्र0 राजस्थान होते हुए मादक पदार्थ भटिण्डा पंजाब में सप्लाई किया जाता है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः—

1. सदाम हुसैन पुत्र बाबूखान निवासी बासी मौहल्ला मेवातीपुरा मन्दसौर जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश हाल गांव हथुनिया थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ़ राजस्थान।
2. नादर खान पुत्र नासिर खान निवासी हथुनिया थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ़ राजस्थान।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक व समय–

दिनांक – 28.08.2025, समय 11.10 बजे, स्थान – बस स्टॉप थाना डिंग रोड थाना डिंग, सिरसा, हरियाणा।

कुल बरामदगी –

1.15 कुन्टल 48 किलो 170 ग्राम अवैध डोडा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 01 करोड़ रुपये)।

2.एक अदद गाडी केन्टर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ए.एन.टी.एफ. थाना सहारनपुर।

1.उ0नि0 श्री रवि कुमार , ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।

2.उ0नि0 श्री नवीन कुमार, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।

3.है0का0 अश्वनी कुमार, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।

4.आ0 शिवम चौधरी, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।

सहायतार्थ टीम– थाना डिंग, सिरसा , हरियाणा।

जनपद अलीगढ़/थाना गाँधीपार्क

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 81 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने (514.3 ग्राम)–चाँदी (10.905 ग्राम) एवं डायमंड (33.600 ग्राम) के जेवरात आदि**
- **चोरी के 39 हजार 600 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 29.08.2025 को थाना गाँधीपार्क व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिन्धौली मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1–बबलू

2–संजय उर्फ सज्जन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 81 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने (514.3 ग्राम)–चाँदी (10.905 ग्राम) एवं डायमंड (33.600 ग्राम) के जेवरात आदि, चोरी के 39 हजार 600 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26/27.08.2025 को थाना गाँधीपार्क क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गाँधीपार्क पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद जेवरात आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त बबलू के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग, अभियुक्त संजय उर्फ सज्जन के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या, चोरी आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गाँधीपार्क पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बबलू निवासी शाहकमाल रोड बस स्टैण्ड के पीछे थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ़।

2–संजय उर्फ सज्जन निवासी नगला मान सिंह थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 81 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने (514.3 ग्राम)–चाँदी (10.905 ग्राम) एवं डायमंड (33.600 ग्राम) के जेवरात आदि।

2–चोरी के 39 हजार 600 रूपये नगद।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 28.08.2025 को थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–62 के पास से 03 अभियुक्तों 1–अफजल 2–अफरीद उर्फ भूरा 3–आस मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अफजल निवासी ग्राम बरौली थाना जवॉं जनपद अलीगढ़।

2–अफरीद उर्फ भूरा निवासी ग्राम बरौली थाना जवॉं जनपद अलीगढ़।

3–आस मोहम्मद निवासी ग्राम बरौली थाना जवॉं जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–2

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 82 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 आईसर कैन्टर ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 28.08.2025 को थाना फेस–2 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निम्मी विहार पुस्ते से कुलेसरा की तरफ नलकूप

के पास से 03 अभियुक्तों 1–अजय कुमार 2–नीरज उर्फ नीरू 3–हिमांशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 40 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 82 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 आईसर कैन्टर ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय कुमार निवासी ज्वाहर नगर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

2–नीरज उर्फ नीरू निवासी डुन्डाहेड़ा थाना उद्योग विहार फेस–1 गुरूग्राम हरियाणा।

3–हिमांशु निवासी बड़ापुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर, रोहटा रोड़ थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लगभग 40 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 82 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 01 आईसर कैन्टर ट्रक आदि।

- **जनपद एटा/थाना जैथरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 58–58 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जैथरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/325/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामप्रसाद 2–अवधेश को आजीवन कारावास व 58–58 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना रामगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना रामगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि सपठित धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–लिल्लू 2–कलाम को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना औंग (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना औंग पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुरेन्द्र को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना हरगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 36 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना हरगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/342 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आशाराम को आजीवन कारावास व 36 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अरनिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ जंगलिया को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————